

[उद्धरण 0, उद्धृत 121]

मध्य प्रदेश राज्य - अधिनियम

मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960

मध्य प्रदेश,
भारत

मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960

अधिनियम 20, 1960

20 सितम्बर 1960 को प्रकाशित हुआ

20 सितम्बर 1960 को प्रारम्भ हुआ

[यह उपन्यास 20 सितम्बर 1960 का संस्करण है।]

[नोट: मूल प्रकाशन प्रकाशन उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।]

मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960

(1960 का अंक संख्या 20)

उत्पाद एवं उत्पाद का विवरण। - भूमि के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वर्तमान जोतों के साथ-साथ भविष्य में कृषि भूमि सीमा पर निर्धारित करना समझा जाता है। सरकार के पास निहित अभिषेक भूमि को अधिभोग मूल्य के भुगतान पर उत्सुक लोगों और सहयोगी कृषि उद्यमों को कुछ

जमीन के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मूल रूप से, यह समाजशास्त्र समाज के विभिन्न वर्ग के आर्थिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने और प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

[दिनांक 20 सितम्बर 1960]

इसे 20 सितंबर, 1960 को राष्ट्रपति का उद्घाटन प्राप्त हुआ; पहली बार 1 अक्टूबर, 1960 को "मध्य प्रदेश राजपत्र" का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ।

कृषि जोतों, जोतों, अधिशेष भूमि के अधिग्रहण और संवर्धन और संबंधित मामलों पर मुख्य सीमा का प्रावधान करने वाला अधिनियम।

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं:

अध्याय I प्रारंभिक

1. आदर्श शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

- (1) इस अधिनियम को मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 कहा जा सकता है।
- (2) यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में वर्णित है।
- (3) यह [ऐसी तारीख से लागू होगा] [15 नवंबर, 1961 से लागू। मध्य प्रदेश सरकार, भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 3467-XXVIII-60, दिनांक 4 नवंबर, 1961 देखें, जो मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 नवंबर, 1961 को प्रकाशित हुई थी] जैसा कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया है।

2. परिभाषाएँ।

- इस अधिनियम में, संदर्भ से अन्यथा, -

- (ए) "कृषि मजदूर" से ऐसे व्यक्ति के पास कोई भूमि नहीं है जिसका मुख्य साधन भूमि पर शारीरिक श्रम करना है;

(बी) ["नियुक्ति दिवस" से मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 प्रारंभ होने की तिथि से है] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

(बीबी) ["सुनिश्चित सिंचाई" का अर्थ है राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी सिंचाई स्रोत से निर्धारित दिन पर सिंचाई;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।]

(मैं) ट्यूबवेल से;

(ii) डीजल या विद्युत ऊर्जा से संचालित बारहमासी जल स्रोत से लिफ्ट सिंचाई द्वारा।

(बीबीबी) ["आश्वासनित निजी सिंचाई" का अर्थ है 15 अगस्त, 1972 को या उससे पहले की सिंचाई-
[मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित]

स्पष्टीकरण। - इस खंड के मद (ii) के प्रयोजन के लिए, "जलीय जल स्रोत" से तात्पर्य ऐसे जल स्रोत से है जिससे वर्ष भर जल प्रवाहित होता है, परन्तु इसमें कुआँ शामिल नहीं है;]

(सी) ["बेहतर कृषि समिति" से तात्पर्य मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) के तहत पंजीकृत या बेहतर कृषि समिति के रूप में पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति से है;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20 ऑफ 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

(डी) "अधिकतम क्षेत्रफल" से तात्पर्य भूमि के उस अधिकतम क्षेत्रफल से है जिसे कोई धारक धारा 7 के अंतर्गत धारण करने का हकदार है;

(ई) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य है-

(मैं) [किसी ऐसे धारक के संबंध में जिसकी संपूर्ण भूमि एक उप-मंडल के भीतर स्थित है, उप-मंडल अधिकारी और/या ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, जो उप कलेक्टर के पद से नीचे का न हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है; [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1976 (16-7-1976 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

(ii) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी संपूर्ण भूमि एक ही जिले के एक से अधिक उप-मंडलों में स्थित है, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर और जहां जिले के लिए कोई अतिरिक्त कलेक्टर

नहीं है, वहां ऐसे उप कलेक्टर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) के तहत कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया हो; और]

(iii) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी भूमि एक से अधिक जिलों में स्थित है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा प्राधिकारी;

(ई) ["सहकारी समिति" से तात्पर्य मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति से है;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20 ऑफ 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।]

(एफ) ["सूखी भूमि" से तात्पर्य ऐसी किसी भी भूमि से है जिसे न तो सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से और न ही सुनिश्चित निजी सिंचाई के माध्यम से जल प्राप्त होता है;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

(जी) "छूट प्राप्त भूमि" से तात्पर्य उस भूमि से है जिसे धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है;

(जीजी) ["परिवार" से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों से है, यदि कोई हो;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।]

(एच) ["धारक" से तात्पर्य राज्य के भीतर भूमि के काश्तकार, अधिभोगी किरायेदार या सरकारी पट्टेदार से है और "भूमि धारण करना" या "भूमि धारण करना" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

(मैं) "धारण" से तात्पर्य राज्य के भीतर खंड (एच) में निर्दिष्ट किसी एक या सभी क्षमताओं में धारक द्वारा धारित सभी भूमि से है;]

(जे) ["संयुक्त कृषि समिति" से तात्पर्य मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) के तहत संयुक्त कृषि समिति के रूप में पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति से है, जिसमें उसके नियंत्रण में आने वाली समस्त भूमि का स्वामित्व निहित होता है, और जो

ऐसी समस्त भूमि पर अपने सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से खेती करवाती है;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20 ऑफ 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

- (के) "भूमि" से तात्पर्य कृषि प्रयोजन के लिए धारित भूमि से है, लेकिन इसमें गैर-कृषि प्रयोजन के लिए परिवर्तित या उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल नहीं है;
- (1). [[XX x] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया और प्रतिस्थापित किया गया।]
- (एम). [xxx]
- (एन). [xxx]
- (ओ). "अतिरिक्त भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो;
- (पी). इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, तथा मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (20 ऑफ 1959) में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियाँ, उस संहिता में उन्हें दिए गए क्रमशः अर्थों को ही ग्रहण करेंगी।

अध्याय II भूमि हस्तांतरण पर छूट और प्रतिबंध

3. छूट प्राप्त भूमि।

- निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रहेंगी, अर्थात्:-

- (ए). राज्य के भीतर कानून द्वारा स्थापित स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि;
- (बी). मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी अन्य निगम द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से धारित भूमि;
- (सी). वह भूमि जो किसी सार्वजनिक न्यास या धार्मिक प्रयोजन के लिए वक्फ की संपत्ति हो:
- उसे उपलब्ध कराया-

- (मै). ऐसा सार्वजनिक ट्रस्ट या वक्फ [1 जनवरी, 1971] को या उससे पहले पंजीकृत हो [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] सार्वजनिक ट्रस्ट या वक्फ से संबंधित किसी भी अधिनियम के तहत जो उस समय लागू हो और ऐसी भूमि की संपूर्ण आय ऐसे ट्रस्ट या वक्फ के उद्देश्य के लिए विनियोजित हो;
- (ii). ऐसी भूमि निर्धारित दिन पर सार्वजनिक न्यास या वक्फ की संपत्ति होती है;
- (डी). मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (1968 का क्रमांक 28) के अंतर्गत भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा धारित भूमि;
- (ई). [मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत माने जाने वाले किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी अन्य सहकारी बैंक द्वारा धारित भूमि;]

[खंड (ई) और (एफ) मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।]

(एफ). बैंक के स्वामित्व वाली भूमि;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए "बैंक" से तात्पर्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (संख्या 10 ऑफ 1949) की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी से है, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 (संख्या 23 ऑफ 1955) द्वारा गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (संख्या 38 ऑफ 1959) में परिभाषित सहायक बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (संख्या 5 ऑफ 1970) में परिभाषित संगत नया बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (संख्या 10 ऑफ 1963) के तहत स्थापित कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 (संख्या 1 ऑफ 1956) के तहत निगमित कंपनी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य वित्तीय संस्था शामिल है। इस ओर से;]

- (जी). [सहकारी समितियों द्वारा धारित भूमि, जिनके पास सदस्यों के रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य के लिए निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल को जोड़कर प्राप्त कुल क्षेत्रफल से अधिक भूमि नहीं है और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है: [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।]

बशर्ते कि संयुक्त कृषि समिति के मामले में कोई भी सदस्य निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि धारण नहीं करेगा;]

(एच) कोई भी भूमि जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

4. विधेयक के प्रकाशन के बाद या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किए गए हस्तांतरण या विभाजन।

- [(1) किसी भी कानून में फिलहाल लागू किसी बात के होते हुए भी, जहां [1 जनवरी, 1971] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] से पहले, लेकिन निर्धारित दिन से पहले, किसी धारक ने अपने द्वारा धारित किसी भूमि को विक्रय, उपहार, विनिमय या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित कर दिया हो, या अपनी जोत या उसके किसी भाग का विभाजन कर दिया हो, या धारक द्वारा धारित जोत को किसी न्यायालय के निर्णय के निष्पादन में हस्तांतरित कर दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, धारक और ऐसे हस्तांतरण या विभाजन से प्रभावित अन्य व्यक्तियों को नोटिस देने के बाद और नोटिस के बाद ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, हस्तांतरण या विभाजन को शून्य घोषित कर सकता है, यदि वह पाता है कि हस्तांतरण या विभाजन, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधान की प्रत्याशा में या उसे विफल करने के लिए किया गया था।]

(2) इस खंड में कोई भी बात धारक द्वारा किए गए हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी-

(ए) जो निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है; या

(बी) जो किसी परिवार का सदस्य हो और जहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि धारण न करते हों, हस्तांतरण की तिथि पर।]

(3) इस धारा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। बोर्ड का निर्णय और अपील में बोर्ड के निर्णय के अधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

- (4). [इस धारा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक हस्तांतरण के संबंध में] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1971 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] यह साबित करने का भार कि हस्तांतरण बेनामी नहीं था या इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए किसी अन्य तरीके से नहीं किया गया था, हस्तांतरणकर्ता पर होगा।
- (5). किसी भी कानून में इस समय लागू किसी भी बात के होते हुए भी,
- (i). कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे अनुबंध या दस्तावेज के आधार पर भूमि विक्रय के किसी भी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए कोई मुकदमा स्वीकार नहीं करेगा जो [1 जनवरी, 1971 को या उससे पहले] किया गया हो [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित]।
- (ii). किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी भी समझौते या दस्तावेज के आधार पर पारित कोई भी डिक्री [1 जनवरी, 1971 को या उससे पहले] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] शून्य होगी और अप्रवर्तनीय होगी, यदि ऐसा मुकदमा या डिक्री इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के उद्देश्य से है।

5. भूमि के हस्तांतरण या उपविभाजन पर प्रतिबंध और इसके उल्लंघन में किए गए हस्तांतरण या उपविभाजन के परिणाम।

किसी भी कानून में इस समय लागू किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि निम्नलिखित नहीं होगी-

- (ए) चाहे विक्रय के माध्यम से (जिसमें दीवानी न्यायालय के निर्णय या किसी अन्य वैध प्राधिकारी के पुरस्कार या आदेश के निष्पादन में विक्रय शामिल है) या उपहार, विनिमय, पट्टा या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित किया गया हो; या
- (बी) उपविभाजित (जिसमें दीवानी न्यायालय या किसी अन्य वैध प्राधिकारी के आदेश या निर्णय द्वारा किया गया उपविभाजन भी शामिल है), चाहे विभाजन द्वारा हो या अन्यथा;

कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना धारा 11 के तहत अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

(2). यदि कलेक्टर की राय में भूमि का हस्तांतरण या उप-विभाजन इस अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने की संभावना रखता है, तो वह ऐसी अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

[[(3) इस धारा की कोई बात धारक द्वारा किए गए हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी-

(ए) जो निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है; और

(बी) जो किसी परिवार का सदस्य हो और जहां परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि के मालिक न हों;

जैसा कि मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, हस्तांतरण की तिथि पर।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

(4). पंजीकरण अधिकारी, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत करे, [1 जनवरी 1971] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] को या उसके बाद किए गए प्रत्येक भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवरण, निर्धारित तिथि से पहले, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(5). प्रत्येक हस्तांतरण के संबंध में [जिस पर यह धारा लागू होती है] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] यह साबित करने का भार कि हस्तांतरण बेनामी नहीं था या इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए किसी अन्य तरीके से नहीं किया गया था, हस्तांतरणकर्ता पर होगा।

5ए.

[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा धारा 5-ए को हटा दिया गया।]

5बी.

[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा धारा 5-बी को हटा दिया गया।]

अध्याय III
अधिकतम क्षेत्रफल का निर्धारण, अधिशेष भूमि का निर्धारण और उसका अधिग्रहण

6. कुछ व्यक्ति इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए धारक माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते हैं।

- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

- (i) जहां कोई भूमि दो या दो से अधिक धारकों द्वारा संयुक्त रूप से या संयुक्त किरायेदार के रूप में धारित की जाती है, वहां नियुक्त दिन पर प्रत्येक धारक के हित के अनुरूप भूमि क्षेत्र को ऐसे धारक द्वारा धारित माना जाएगा;
- (ii) जहां भूमि किसी संयुक्त हिंदू परिवार के पास है, वहां ऐसे परिवार का प्रत्येक सदस्य जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्से का हकदार है, उसे उस भूमि का उतना क्षेत्रफल रखने वाला माना जाएगा जो संपत्ति में उसके हिस्से के अनुपात में होगा, यदि निर्धारित दिन पर विभाजन होता है;
- (iii) [किसी भी भूमि पर, जो किसी काश्तकार की हो और मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) की धारा 185 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिभोगी काश्तकार द्वारा धारित हो, उसे ऐसे काश्तकार द्वारा धारित नहीं माना जाएगा;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1 ऑफ 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।]
- (iv) [किसी भी भूमि पर, जो किसी पट्टेदार की है और 1 जनवरी, 1971 को या उसके बाद किसी अधिभोगी किरायेदार या भूमिस्वामी द्वारा धारित है, जिसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) की धारा 169 या उसकी धारा 190 के उप-धारा (2-ए) के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं, उक्त संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी, वह भूमि ऐसे पट्टेदार द्वारा धारित मानी जाएगी, न कि उस अधिभोगी किरायेदार या भूमिस्वामी द्वारा, जैसा भी मामला हो, जिसे उक्त संबंधित धाराओं के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1 ऑफ 1984 द्वारा सम्मिलित]

6ए.

[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1984 द्वारा हटा दिया गया (24.1.1984 से प्रभावी)]

6ख. [संहिता के अधीन अधिभोगी किरायेदार या भूमिस्वामी के अधिकार का संचय शून्य होगा। - जहां मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) की धारा 168 के उल्लंघन में अपनी जोत में शामिल भूमि के किसी काश्तकार द्वारा दिए गए पट्टे के परिणामस्वरूप, उक्त संहिता की धारा 169 या धारा 190 के तहत 1 जनवरी, 1971 से शुरू होकर निर्धारित दिन तक की अवधि के दौरान, किसी अधिभोगी किरायेदार या भूमिस्वामी, जैसा भी मामला हो, के अधिकार पट्टेदार को प्राप्त हो गए हों, तो ऐसे अधिकारों का संचय शून्य होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार से वैधानिक प्रभाव नहीं रखेगा, चाहे इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में, जो उस समय लागू हो, या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित हो।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1 ऑफ 1984 द्वारा सम्मिलित (दिनांक 24.1.1984 से प्रभावी)]

6बी. [धारा 6-बी लागू होने वाले मामलों में अधिशेष भूमि की घोषणा। - जहां धारा 6-बी के संचालन के परिणामस्वरूप, किसी धारक द्वारा पहले से धारित भूमि की मात्रा में इस प्रकार वृद्धि हो जाती है कि अधिशेष भूमि की घोषणा आवश्यक हो जाती है, तो इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी अधिशेष भूमि की घोषणा करते समय निम्नलिखित क्रम में भूमि निर्दिष्ट करेगा]

(i) धारा 6-बी से संबंधित भूमि के अतिरिक्त, ऐसे धारक द्वारा धारित भूमि;

(ii) यदि उसके पास मौजूद भूमि अपेक्षित अधिशेष से कम हो जाती है, तो उसके पास मौजूद संपूर्ण भूमि और धारा 6-बी से संबंधित भूमि का वह भाग जो अपेक्षित अधिशेष से कम है।]

6सी. [धारा [6-बी] के अंतर्गत आने वाले मामलों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1984 द्वारा सम्मिलित (24.1.1984 से प्रभावी)] ।

धारा 11 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे धारक की जोत में शामिल भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई मुकदमा नहीं सुनेगा जिस पर धारा [6-बी] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित (24.1.1984 से प्रभावी)] के प्रावधान लागू होते हैं। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1984 द्वारा जोड़ा गया (24.1.1984 से प्रभावी)]

7. [किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा धारित भूमि की अधिकतम सीमा। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

- [(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई धारक या यदि धारक किसी परिवार का सदस्य है, तो ऐसा कोई परिवार, नियुक्त दिन से, नीचे निर्दिष्ट भूमि से अधिक भूमि को छूट प्राप्त भूमि के अतिरिक्त धारण करने का हकदार नहीं होगा-]

(ए)	जहां धारक परिवार का सदस्य नहीं है।	(1) दो फसलों की उपज देने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित आय प्राप्त करने में सक्षम दोनों फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	10 एकड़।
		(2) एक फसल पैदा करने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित उपज प्राप्त करने में सक्षम फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	15 एकड़।
		(3) शुष्क भूमि.	30 एकड़।
(बी)	जहां धारक पांच सदस्यों वाले परिवार का सदस्य हो या कम।	(1) दो फसलों की उपज देने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित आय प्राप्त करने में सक्षम दोनों फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	18 एकड़।
		(2) एक फसल पैदा करने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित उपज प्राप्त करने में सक्षम	27 एकड़।

		फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	
		(3) शुष्क भूमि.	54 एकड़।
(सी)	जहां धारक पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार का सदस्य है सदस्य।	(1) दो फसलों की उपज देने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित आय प्राप्त करने में सक्षम दोनों फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	18 एकड़ के अलावा, पांच से अधिक सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 3 एकड़ अतिरिक्त। अधिकतम 36 एकड़ की सीमा के अधीन।
		(2) एक फसल पैदा करने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित उपज प्राप्त करने में सक्षम फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई;	27 एकड़ के अलावा, पांच से अधिक सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 4.50 एकड़ अतिरिक्त। अधिकतम 54 एकड़ की सीमा के अधीन।
		(3) शुष्क भूमि.	54 एकड़ के अलावा, पांच से अधिक सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 9 एकड़ अतिरिक्त। अधिकतम 108 एकड़ की सीमा के अधीन:

बशर्ते कि यदि किसी परिवार के सभी या कोई एक सदस्य स्वयं भी भूमिधारक है और अपने अधिकार से भूमि धारण करता है, तो ऐसे परिवार द्वारा धारित कुल भूमि ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगी और परिवार के सदस्य निर्धारित दिन से पहले प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित भूमि के अनुपात में अधिकतम क्षेत्रफल के भीतर भूमि धारण करना जारी रखेंगे।

(2). जहां किसी परिवार के सदस्य धारक के एक या एक से अधिक वयस्क पुत्र हों, तो ऐसा प्रत्येक पुत्र, धारक के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्र के अधीन रहते हुए, नियुक्त दिन से पहले

परिवार से संबंधित भूमि में से अलग भूमि धारण करने का हकदार होगा, मानो ऐसा प्रत्येक पुत्र धारक हो।

बशर्ते कि यदि ऐसा वयस्क पुत्र या उसके परिवार का कोई सदस्य अपने अधिकार से भूमि धारण करता है और ऐसी भूमि का क्षेत्रफल, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से कम है, तो वह ऐसी पारिवारिक जोत में से केवल उस सीमा तक ही भूमि धारण करने का हकदार होगा, जिस सीमा तक 1 जनवरी, 1971 को उसके द्वारा धारित भूमि अधिकतम क्षेत्रफल से कम है।

इसके अलावा, कोई भी वयस्क पुत्र पूर्वोक्त प्रावधान के अंतर्गत भूमि का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित अवधि के भीतर घोषणा प्रस्तुत न कर दे।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल की गणना में-

- (i) केले के बागानों और अंगूर के बागों के अलावा अन्य बागों को शुष्क भूमि माना जाएगा; और
- (ii) किसी संयुक्त कृषि समिति या किसी अन्य सहकारी समिति में धारक या परिवार के सदस्य द्वारा सदस्य के रूप में धारित भूमि को ऐसे धारक या परिवार के सदस्य द्वारा धारित भूमि माना जाएगा;
- (iii) [एक एकड़ भूमि, जिस पर दो फसलें उगाई जा सकती हैं और दोनों फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई प्राप्त होती है, वह एक फसल उगाने योग्य और उस फसल के लिए सुनिश्चित सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई प्राप्त करने वाली 1.5 एकड़ भूमि या तीन एकड़ शुष्क भूमि के बराबर होगी।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

स्पष्टीकरण - इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, रबी या खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों को एक बूंद माना जाएगा।

8.

[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा हटा दिया गया (7-3-1974 से प्रभावी)]

9. निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना।

- प्रत्येक धारक जो निर्धारित दिन पर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि धारण करता है, वह अपने द्वारा धारित सभी भूमि के संबंध में, जिसमें छूट प्राप्त भूमि भी शामिल है, निर्धारित दिन से तीन महीने की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित जानकारी युक्त विवरण प्रस्तुत करेगा:

- (i) राज्य के भीतर उनके द्वारा धारित भूमि का पूर्ण विवरण;
- (ii) यदि ऐसी भूमि पर कोई भार है, तो उसका पूरा विवरण, साथ ही उसके लेनदार का नाम और पता;
- (iii) [xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1976 द्वारा निरस्त। (25-2-1976 से प्रभावी)]
 - (iii-क) उसके द्वारा [1 जनवरी, 1971] को या उसके बाद [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित] और निर्धारित दिन से पहले किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण या विभाजन का पूर्ण विवरण;
- (iv) [ऐसी भूमि या उसके किसी भाग के संबंध में लंबित किसी भी मुकदमे का पूर्ण विवरण, [खंड (iv) और (v) मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (v) उसके परिवार के सदस्यों के पूरे नाम, आयु और पते, उनके साथ उसका संबंध और उनमें से प्रत्येक के पास मौजूद भूमि का विवरण]
- [(va) उनके वयस्क पुत्रों के पूर्ण नाम, आयु और पते तथा 1 जनवरी, 1971 को उनमें से प्रत्येक के पास मौजूद भूमि;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (vi) वह जिस भूमि को अपने पास रखना चाहता है, उसका पूरा विवरण; और
- (vii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है:

बशर्ते कि यदि धारक नाबालिग, पागल या मंदबुद्धि है, तो उसकी ओर से रिटर्न उसके अभिभावक द्वारा दाखिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। - किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास किसी नाबालिग, पागल या मंदबुद्धि व्यक्ति या उसकी संपत्ति का उस समय वैध अभिरक्षा हो, उसका अभिभावक माना जाएगा।

इसके अलावा, यदि भूमि किसी संयुक्त हिंदू परिवार के पास है, तो उस भूमि के संबंध में उस परिवार के प्रबंधक द्वारा एक संयुक्त रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, जिसमें भूमि के उस हिस्से का उल्लेख किया जाएगा जिसे परिवार अपने पास रखना चाहता है।

10. सूचना का संग्रह।

- (1). यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि धारण करता है और धारा 9 के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से नोटिस जारी करके, उस व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और ऐसा करने में विफल रहने पर, निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- (2). [xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा हटा दिया गया (7-3-1974 से प्रभावी)]

11. निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि के संबंध में विवरण तैयार करना।

- (1). धारा 9 के तहत दिए गए विवरण में दी गई जानकारी के आधार पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर, उक्त प्राधिकारी उचित समझे जाने वाली जांच करने के बाद, अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में एक अलग मसौदा विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे।
- (मैं). [धारक का नाम और पता;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (ia) यदि धारक किसी परिवार का सदस्य है, तो परिवार के सदस्यों के नाम, पते और आयु;
- [(ib) यदि परिवार का सदस्य धारक है और उसके वयस्क पुत्र हैं, तो 1 जनवरी, 1971 को उनके वयस्क पुत्रों के नाम, आयु और पते तथा प्रत्येक के द्वारा धारित भूमि;] [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 20, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (ii). राज्य के भीतर उनके और उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि का पूरा विवरण और ऐसी भूमि का कुल क्षेत्रफल;]

- (iii). इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारक को प्राप्त भूमि का कुल क्षेत्रफल;
- (iv). वह जिस भूमि को अपने पास रखना चाहता है, उसका विवरण;
- (v). सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिशेष घोषित किए जाने वाले भूमि का विवरण; और
- (vi). अन्य ऐसे विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

[बशर्ते कि यदि धारक उस भूमि के हिस्से को निर्दिष्ट करने में विफल रहता है जिसे वह अपने पास रखना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी यथासंभव भारित और सुधरी हुई भूमि को धारक द्वारा अपने पास रखी जाने वाली भूमि में शामिल करेगा;] [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 12, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित]

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों या संयुक्त रूप से या संयुक्त किरायेदार के रूप में भूमि धारण करने वाले धारकों के संबंध में एक संयुक्त विवरण तैयार किया जा सकता है।

- (2). इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, हस्तांतरणकर्ता को उस भूमि का धारक माना जाएगा जिसका हस्तांतरण-
 - (i). धारा 4 की उपधारा (1) के तहत इसे शून्य घोषित किया गया है; या
 - (ii). सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच के आधार पर, यह पाया गया है कि यह धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
- (3). मसौदा वक्तव्य ऐसे स्थान पर और ऐसे तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए और उसकी एक प्रति संबंधित धारक या धारकों, लेनदारों और उस भूमि से संबंधित सभी अन्य हितधारकों को दी जाएगी। प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा और आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद वह ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।
- (4). यदि उपधारा (3) के अंतर्गत या अन्यथा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी को यह पता चलता है कि किसी विशेष धारक के स्वामित्व के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है और ऐसा

प्रश्न सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित नहीं किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रश्न के गुण-दोष की संक्षेप में जांच करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा हटा दिया गया (1-11-1988 से प्रभावी)]

- (5) उपधारा (4) के तहत सक्षम प्राधिकारी का आदेश अपील या पुनरीक्षण में दिए गए निर्णय के अधीन अंतिम और निर्णायक होगा।]
- (6) सभी आपत्तियों का निपटारा हो जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आपत्तियों पर पारित आदेशों के अनुसार मसौदा विवरण में आवश्यक परिवर्तन करेगा और प्रत्येक धारक द्वारा धारित अधिशेष भूमि की घोषणा करेगा। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी एक अंतिम विवरण प्रकाशित करेगा जिसमें धारक द्वारा धारित संपूर्ण भूमि, उसके द्वारा रखी जाने वाली भूमि और अधिशेष घोषित भूमि का विवरण होगा और उसकी एक प्रति संबंधित धारक को भेजी जाएगी। ऐसा विवरण निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा और उसमें वर्णित तथ्यों का निर्णायक प्रमाण होगा। मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित (1-11-1988 से प्रभावी)
- (7) [xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा हटा दिया गया (1-11-1988 से प्रभावी)]
- (8) [[xxx] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)] यदि अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि में भूमि का एक छोटा टुकड़ा शामिल है जिसकी आर्थिक रूप से खेती नहीं की जा सकती है या जिसे कृषि प्रयोजनों के लिए उसके कुशल उपयोग को ध्यान में रखते हुए भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि धारक को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, अधिकतम एक एकड़ तक की अतिरिक्त भूमि को रखने की अनुमति दी जा सकती है।]
- (9) [सक्षम प्राधिकारी मामले का निपटारा करेगा-]
 - (मैं) जिस पर धारा 11-ए लागू होती है, उसे 1 नवंबर, 1988 से छह महीने के भीतर पूरा करना होगा;
 - (ii) जो मामला 1 नवंबर, 1988 को उनके पास लंबित था या जिसे 1 नवंबर, 1988 से छह महीने के भीतर उस तारीख से पहले उन्हें वापस भेजा गया था;

(iii). जो भी मामला 1 नवंबर 1988 के बाद उसे वापस भेजा गया हो या शुरू किया गया हो, वह मामला वापसी की तारीख या सूचना की तारीख से छह महीने के भीतर होना चाहिए:

बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने में असमर्थ हो, तो वह निम्नलिखित को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा-

(मैं) राजस्व बोर्ड जहां सक्षम प्राधिकारी आयुक्त या बंदोबस्ती आयुक्त है;

(ii) यदि सक्षम प्राधिकारी कोई अन्य राजस्व अधिकारी है, तो आयुक्त;

ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले, असमर्थता के कारणों का उल्लेख करते हुए, राजस्व बोर्ड या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकता है। मामले या उससे संबंधित कार्यवाही का कोई भी रिकॉर्ड रिपोर्ट के साथ तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि राजस्व बोर्ड/आयुक्त द्वारा विशेष रूप से न मांगा जाए। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा सम्मिलित (1-11-1988 से प्रभावी)]

11ए. [मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारंभ को सुनिश्चित करने के लिए परिणाम। [धारा 11-ए और 11-बी मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 (1-11-1988 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित की गई।]

(1). मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 के लागू होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा-

(ए). भूमि के स्वामित्व के मामले में दीवानी न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने के परिणामस्वरूप अब तक स्थगित किए गए मामलों से निपटना और उनका निपटारा करना।

(बी). धारा 11 की उपधारा (6) के तहत अधिशेष घोषित की गई और धारा 12 के तहत सभी भारों से पूर्णतः मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित भूमि पर तुरंत कब्जा ले ले या ले ले; और

(सी). एक नोटिस द्वारा धारक को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उस भूमि के बारे में अपना विकल्प देने के लिए कहा जाएगा जिसे वह अपने पास रखना

चाहता है, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी यथासंभव भारित और विकसित भूमि को धारक द्वारा अपने पास रखी जाने वाली भूमि में शामिल कर लेगा।

- (2). सिविल न्यायालय, जिसके समक्ष धारा 11 के तहत 1 नवंबर, 1988 से पहले के समय में लंबित मामले थे, उन मामलों पर विचार कर सकता है, लेकिन सिविल न्यायालय के समक्ष ऐसी प्रवृत्ति सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा करने से नहीं रोकेगी, भले ही सिविल न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई स्थगन आदेश या अन्य प्रक्रिया जारी की गई हो।
- (3). यदि सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के अंतिम निपटारे के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले भूमि धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व घोषित किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस भूमि का हकदार नहीं होगा जिस पर उसने स्वामित्व का दावा किया था, यदि ऐसी भूमि पहले ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वितरित की जा चुकी है और उस स्थिति में उक्त व्यक्ति को उक्त भूमि का बाजार मूल्य ऐसे तरीके से भुगतान किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां कुल भूमि, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिसके लिए धारक इस उपधारा के तहत हकदार हो गया है, उस भूमि के संबंध में लागू होगी जो अधिकतम सीमा से अधिक है।

- (4). (ए). इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिशेष घोषित की गई किसी भी कृषि भूमि पर स्वामित्व या किसी भी अधिकार की घोषणा के लिए कोई भी मुकदमा या कार्यवाही किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि वादी या आवेदक, जैसा भी मामला हो, ने मध्य प्रदेश राज्य को ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में प्रतिवादी या गैर-आवेदक, जैसा भी मामला हो, के रूप में पक्षकार न बनाया हो।
- (बी). कोई भी न्यायालय खंड (क) में निर्दिष्ट लंबित मुकदमे या कार्यवाही को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि यथाशीघ्र राज्य सरकार को प्रतिवादी या गैर-आवेदक के रूप में पक्षकार न बना दिया जाए।

स्पष्टीकरण। - इस उपधारा में प्रयुक्त "मुकदमा या लंबित" शब्द में अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण शामिल होगा, लेकिन ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में पारित किसी भी निर्णय या अंतिम आदेश के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही शामिल नहीं होगी।

11B. अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अंतिम निपटान के परिणाम।

- यदि अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष मामले के अंतिम निपटारे के परिणामस्वरूप-

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने वाले भूमिधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व की घोषणा करना; या
- (ii) इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त भूमि की घोषणा;
- (iii) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत धारक या धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार;

ऐसा व्यक्ति उस भूमि का हकदार नहीं होगा जिस पर उसने स्वामित्व का दावा किया हो, या ऐसा धारक उस भूमि का हकदार नहीं होगा जिसके संबंध में उसने छूट का दावा किया हो, या धारक या ऐसा अन्य व्यक्ति उपरोक्त (iii) के तहत उसके पक्ष में घोषित भूमि का हकदार नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसी भूमि पहले से ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वितरित की जा चुकी हो, और उस स्थिति में धारा 11ए की उपधारा (3) के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या धारक पर लागू होंगे, जैसा भी मामला हो।

[12. अधिशेष भूमि का राज्य में निहित होना। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित (16-7-1976 से प्रभावी)]

- सभी अतिरिक्त भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाएगा और धारा 11 की उपधारा (6) के तहत इसे अतिरिक्त घोषित करने की तारीख से सभी भारों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि ऐसी भूमि पर कोई फसल खड़ी हो तो फसल की कटाई के बाद ही ऐसा अधिकार प्राप्त होगा।]

13. निहित होने का परिणाम।

अधिकार प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी-

- (i) अधिशेष भूमि में धारक के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, या उसके माध्यम से ऐसी भूमि में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाएंगे; और

- (ii). भूमि के संबंध में, जो भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित हो चुका है और स्वामित्व हस्तांतरित होने की तिथि से पूर्व की किसी भी अवधि के लिए धारक द्वारा देय है, राजस्व, उपकर या अन्य देय राशियों का सभी बकाया ऐसे धारक से वसूल किया जाता रहेगा और वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के तहत ऐसे धारक को देय मुआवजे की राशि से राशि काटकर वसूल किया जा सकता है।

13ए. [अतिरिक्त भूमि पर लाभ के लिए धारक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]]

- जहां धारा 12 के अधीन कोई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वहां भूमि का धारक राज्य सरकार को निर्धारित तरीके से और निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उस भूमि पर अर्जित लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसने निर्धारित तिथि के बाद उस अवधि के दौरान अर्जित किया हो जब तक भूमि उसके पास रही हो।]

14. भूमि का सीमांकन और उसका मूल्यांकन

जहां धारा 12 के अधीन कोई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वहां उप-विभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (1959 का 20) की धारा 198 की उपधारा (5) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उसका सीमांकन करेगा और धारक के पास शेष भूमि के संबंध में भूमि राजस्व भी निर्धारित करेगा।

15. [भविष्य में अधिकतम सीमा कैसे प्रभावी होगी। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित। (7-3-1974 से प्रभावी)]]

- यदि निर्धारित तिथि के बाद किसी धारक द्वारा धारित कुल भूमि, और यदि ऐसा धारक किसी परिवार का सदस्य है, तो किसी भी समय उस परिवार द्वारा धारित कुल भूमि निम्नलिखित कारणों से अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाती है:

- (ए). भूमिधारक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण; या
- (बी). भूमि की प्रकृति में परिवर्तन, अर्थात् शुष्क भूमि जिसमें बाद में एक या दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो, या ऐसी भूमि जिसमें एक फसल के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो और

बाद में दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो; या

(सी) वह भूमि जो अब छूट प्राप्त भूमि नहीं रही;

इस अध्याय के सभी प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे धारक पर लागू होंगे और यदि ऐसा धारक किसी परिवार का सदस्य है तो ऐसे परिवार पर लागू होंगे।

बशर्ते कि धारा 9 के तहत ऐसे धारक द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने की अवधि,-

(मैं) भूमि अधिग्रहण की स्थिति में, अधिग्रहण की तिथि से नब्बे दिन होंगे; और

(ii) भूमि की प्रकृति में परिवर्तन होने की स्थिति में, भूमि की प्रकृति में परिवर्तन की तिथि से नब्बे दिन का समय लगेगा; और

(iii) यदि कोई भूमि छूट प्राप्त भूमि नहीं रह जाती है, तो मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने की तिथि से या जिस तिथि से ऐसी भूमि छूट प्राप्त भूमि नहीं रह जाती है, इनमें से जो भी बाद में हो, उस तिथि से नब्बे दिन की अवधि मानी जाएगी।

अध्याय IV मुआवजे का भुगतान

16. अतिरिक्त भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार का दायित्व।

धारा 12 के तहत राज्य में निहित अधिशेष भूमि के लिए राज्य सरकार अनुसूची II में निहित नियमों के अनुसार ऐसी भूमि के धारक को मुआवजा देगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मुआवजे के अतिरिक्त, राज्य सरकार ऐसी भूमि के धारक को अतिरिक्त मुआवजा देगी-

(मैं) उसके द्वारा भूमि पर किए गए किसी भी सुधार के लिए; या

(ii) यदि जमीन पर कोई पेड़ खड़े हों तो उनके लिए।]

- (3). उपधारा (2) के अधीन देय अतिरिक्त मुआवजे का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:-
- (ए). भूमि में सुधार के कारण उसके मूल्य में वृद्धि;
 - (बी). सुधार के प्रभाव की संभावित अवधि;
 - (सी). संपत्ति के मालिक द्वारा सुधार पर खर्च किया गया श्रम और पूंजी;
 - (डी). [वृक्षों की प्रकृति और उनका मूल्य।] [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 13, 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (4). उपधारा (1) और (2) के तहत देय मुआवजा अधिशेष भूमि के निहित होने की तिथि से देय होगा और निहित होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

17. मुआवजे के भुगतान का तरीका।

इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 16 के तहत देय मुआवजा निम्नलिखित तरीके से दिया जाएगा, अर्थात्-

- (ए). जहां मुआवजे की कुल राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, वहां अधिकार प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर पूरी राशि नकद में दी जानी चाहिए;
- (बी). अन्य मामलों में, निहित होने की तिथि से छह महीने के भीतर एक हजार रुपये से कम की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान उन्नीस से अधिक की समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि अंतिम भुगतान से संबंधित किस्त को छोड़कर कोई भी किस्त एक सौ रुपये से कम नहीं होगी।

बशर्ते कि राज्य सरकार किसी विशेष कारणवश किसी भी धारक को अग्रिम रूप से पांच किस्तों से अधिक की राशि का भुगतान नहीं कर सकती है।

18. अंतरिम भुगतान।

- (1). यदि किसी धारक को अधिकार प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, सुरक्षा, पुनर्भुगतान या अन्य संबंधित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक धारक को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देगी, जो मुआवजे की अनुमानित राशि के बीसवें हिस्से से कम नहीं होगा और अधिकतम एक हजार रुपये तक सीमित होगा।
- (2). इस प्रकार का अंतरिम मुआवजा इस अधिनियम के तहत देय मुआवजे का हिस्सा माना जाएगा, और इसे इसमें से घटाकर समायोजित किया जाएगा।

19. मुआवजे का निर्धारण।

किसी भूमिधारक की भूमि को अधिशेष घोषित किए जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी उचित जांच करने और संबंधित भूमिधारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस भूमिधारक को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा और ऐसा मुआवजा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

20. कुछ मामलों में मुआवजे का बंटवारा।

जहां धारा 12 के तहत राज्य सरकार में निहित भूमि का धारक है, वह है-

- (i). एक विधवा; या
- (ii). एक अविवाहित बेटी; या
- (iii). एक विवाहित महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो; या
- (iv). एक नाबालिग; या
- (v). वृद्धावस्था या किसी अन्य कारण से शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति; या
- (vi). किसी व्यक्ति को कानून की किसी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो; या
- (vii). संघ के सशस्त्र बलों की सेवा में कार्यरत व्यक्ति; या

(viii). एक सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक संस्था; या

(ix). स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी समिति;

और यदि ऐसे धारक ने ऐसे निहित होने से पहले मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (20 ऑफ 1959) की धारा 168 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि पट्टे पर दी है, तो भूमि के संबंध में देय मुआवजा धारक और पट्टेदार के बीच निर्धारित तरीके से विभाजित किया जाएगा।

21. मुआवजे का भुगतान पूर्ण मुक्ति माना जाएगा।

- (1). अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित तरीके से धारक या अन्य हकदार व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने से राज्य सरकार अधिशेष भूमि के विनिवेश के लिए मुआवजे का भुगतान करने के सभी दायित्वों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और इस संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए कोई और दावा नहीं किया जा सकेगा।
- (2). इस खंड में कोई भी बात उक्त अतिरिक्त भूमि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें विधिवत प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध लागू करने का अधिकार हो, जिसे उपर्युक्त रूप से मुआवजा दिया गया है।

अध्याय V अतिरिक्त भूमि पर भार

22. परिभाषाएँ।

- इस अध्याय में-

- (ए). "लेनदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे कोई सुरक्षित ऋण या दावा देय है और "देनदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस पर ऐसा ऋण बकाया है;
- (बी). "अपवर्जित ऋण" से तात्पर्य सुरक्षित ऋण या निम्नलिखित के संबंध में देय दावों से है-
 - (मैं) मध्य प्रदेश के किसी भी भाग में लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली किसी भी समिति को देय किसी भी राशि के

संबंध में कोई भी दायित्व;

- (ii) न्यायालय के आदेशानुसार या अन्यथा भरण-पोषण संबंधी कोई भी दायित्व;
- (iii) किसी बैंक या कंपनी के प्रति देय कोई भी दायित्व;
- (iv) किसी संपत्ति के विरुद्ध बंधक का दावा, जो किसी ऐसे पश्चात हस्तांतरिती के पास है जिसने बंधक को संतुष्ट करने के लिए हस्तांतरण स्वीकार किया है;
- (v) गिरवी रखने वाले और गिरवी लेने वाले के बीच गिरवी रखी गई संपत्ति के भू-राजस्व के संबंध में उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारी, जिसका भुगतान गिरवी लेने वाले ने गिरवी रखने वाले की ओर से किया हो;

(सी). "सुरक्षित ऋण या दावा" का अर्थ है निर्धारित दिन पर विद्यमान ऋण या दावा, चाहे वह देय हो या न हो और अधिशेष भूमि पर गिरवी या प्रभार द्वारा सुरक्षित हो, लेकिन इसमें भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य कोई भी वस्तु या कोई भी धन शामिल नहीं होगा जिसके लिए परिसीमा के कारण मुकदमा वर्जित है।

23. लेनदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी को आवेदन।

- (1). अधिशेष भूमि धारक का कोई भी लेनदार धारा 11 की उपधारा (6) के तहत अंतिम विवरण के प्रकाशन के साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें ऐसे धारक के विरुद्ध अपने ऋण या दावों की राशि और विवरण निर्दिष्ट किया गया हो।
- (2). उपधारा (1) के तहत आवेदन में ऐसे अतिरिक्त विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (V ऑफ 1908) द्वारा वादपत्रों पर हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए निर्धारित तरीके के अनुसार हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा।
- (3). धारा 9 के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में उल्लिखित लेनदार के अलावा, उपधारा (1) के तहत आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले प्रत्येक लेनदार का दावा, सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए देनदार के विरुद्ध निपटाया हुआ माना जाएगा।

- (4). [भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का IX)] [अब परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखें] की धारा 5 का प्रावधान इस धारा के तहत आवेदन पर लागू होगा।

24. मुआवज़े की राशि को रोकना।

धारा 23 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर यदि सक्षम प्राधिकारी को यह पता चलता है कि अधिशेष भूमि के धारक के विरुद्ध किसी सुरक्षित ऋण या दावे के संबंध में किसी राशि की वसूली हेतु कोई मुकदमा या कार्यवाही लंबित है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित न्यायालय को नोटिस जारी करेगा और इसके बाद ऐसे मुकदमे या कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी।

25. दावों की प्रस्तुति और दस्तावेजों का उत्पादन।

- (1). धारा 23 की उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा और प्राप्त आवेदन की एक प्रति सहित सुनवाई की तिथि की सूचना धारक को तामील करवाएगा तथा धारा 9 के तहत दाखिल किए गए रिटर्न की एक प्रति सहित ऐसे आवेदन की एक प्रति अपने कार्यालय में एक प्रमुख स्थान पर चिपकाएगा।
- (2). सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक लेनदार को भी नोटिस जारी करेगा, जिसका धारा 9 के तहत दाखिल किए गए विवरण के अनुसार अधिशेष भूमि में हित है, लेकिन जिसने उपधारा (1) के तहत कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। ऐसे नोटिस के साथ विवरण की एक प्रति संलग्न होगी।
- (3). धारा 23 के तहत आवेदन दाखिल करने वाले प्रत्येक लेनदार को या उपधारा (2) के तहत नोटिस जारी किए जाने वाले प्रत्येक लेनदार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक या उससे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (V ऑफ 1908) के आदेश VI के नियम 15 में निर्धारित तरीके से हस्ताक्षरित और सत्यापित अपने दावे का लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा विवरण व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप से अधिकृत एजेंट द्वारा या पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रकार प्रस्तुत न किया गया प्रत्येक दावा सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए लेनदार के विरुद्ध निपटाया हुआ माना जाएगा।

बशर्ते कि यदि कोई लेनदार दो महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर दावा विवरण दाखिल करता है और सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि वह उचित और पर्याप्त कारण से सुनवाई के लिए

निर्धारित तिथि से पहले दावा विवरण दाखिल करने में असमर्थ था, तो सक्षम प्राधिकारी दावे को पुनर्जीवित कर सकता है।

- (4) जिस तिथि को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है, उस दिन ऋणदाता अपने कब्जे या नियंत्रण में मौजूद उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जिन पर उसका दावा आधारित है। यदि ऐसे दस्तावेज सुनवाई के दौरान या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थगित सुनवाई में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी देनदार के विरुद्ध ऐसे दावे को सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए समाप्त घोषित कर सकता है।

बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि कोई लेनदार उचित और पर्याप्त कारण से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ था, तो वह उन्हें इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और दावे को पुनर्जीवित कर सकता है।

26. ऋण का निर्धारण।

धारा 27 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी, देनदार और लेनदार (यदि उपस्थित हों) की सुनवाई करने और उचित समझे जाने वाली आगे की जाँच करने के बाद, धारा 16 के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि में से लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा।

27. सभी लेन-देन में ब्याज की गणना और मूलधन में कमी।

- (1) सक्षम प्राधिकारी, किसी अन्य अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, अंतिम लेन-देन से बारह वर्ष पूर्व या 1 जनवरी, 1940 से पूर्व (जो भी पहले हो) किए गए सभी लेन-देनों की पुनः जांच करेगा और जहां तक संभव हो, प्रत्येक ऋण के संबंध में उस तिथि का पता लगाएगा जिस पर वह मूल रूप से दिया गया था। किसी भी विपरीत समझौते या कानून के प्रावधानों के बावजूद, वह देय ब्याज की गणना छह प्रतिशत प्रति वर्ष या पक्षों के बीच सहमत ब्याज की ऐसी कम दर पर करेगा। वह प्रत्येक ऋण की मूल राशि (यदि कोई हो) का भी निर्धारण करेगा जो ब्याज की गणना इस प्रावधान के अनुसार किए जाने पर बकाया रह जाती।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि ऋण मूलतः 1 जनवरी, 1940 से पहले दिया गया था, तो वह उपधारा (1) के तहत निर्धारित मूलधन को बीस प्रतिशत कम कर देगा।

- (3). किसी भी कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी सक्षम प्राधिकारी, किसी भी सुरक्षित ऋण या दावे के संबंध में, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, उपधारा (1) के तहत निर्धारित ऋण के मूलधन से अधिक ब्याज के बकाया के मद में कोई राशि प्रदान नहीं करेगा।
- (4). यदि सक्षम प्राधिकारी को यह पता चलता है कि लेनदार को कुछ भी देय नहीं है, तो वह सुरक्षित ऋण या दावे को माफ करने का आदेश पारित करेगा।
- (5). निर्धारित देय राशि पर निर्धारण की तिथि के बाद कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- (6). उपधारा (1) से (5) में उल्लिखित कोई भी प्रावधान बहिष्कृत ऋणों पर लागू नहीं होगा। ऐसे ऋणों के लिए देय राशि का निर्धारण पक्षों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों या उस समय लागू किसी कानून के अनुसार किया जाएगा।

28. लेनदारों के बीच प्राथमिकता।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जहां दो या दो से अधिक लेनदार हों, वहां सक्षम प्राधिकारी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगा जिसमें प्रत्येक लेनदार को देय राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

29. मुआवजे की राशि का वितरण।

- (1). धारा 16 के तहत किसी धारक को देय मुआवजा सुरक्षित लेनदारों के बीच उनकी प्राथमिकता के क्रम में वितरित किया जाएगा और यदि एक से अधिक ऐसे लेनदार समान प्राथमिकता क्रम रखते हैं, तो यह उनके बीच निर्धारित देय राशि के अनुपात में समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- (2). लेनदारों को देय निर्धारित राशि का भुगतान उतनी किस्तों में किया जाएगा जितनी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिशेष भूमि के धारक को मुआवजे के भुगतान के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।
- (3). यदि लेनदारों को देय कुल राशि धारा 16 के तहत देय मुआवजे से कम है, तो लेनदार को देय राशि ऐसे मुआवजे में से काट ली जाएगी और शेष राशि अधिशेष भूमि के धारक को देय होगी।

30. बकाया दावों की राशि के संबंध में आदेश।

- यदि धारा 16 के तहत धारक को देय मुआवजे की राशि इस अध्याय के तहत निर्धारित लेनदारों के दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी एक आदेश दर्ज करेगा जिसमें निर्दिष्ट किया जाएगा-

- (ए). प्रत्येक दावे के संबंध में बकाया राशि;
- (बी). उस लेनदार का नाम जिसे यह राशि देय है; और
- (सी). प्रत्येक दावे के संबंध में धारक की अधिशेष भूमि के अलावा, उस संपत्ति का विवरण जो शेष रूप से बंधक बनी हुई है।

31. बकाया राशि की वसूली।

- (1). यदि अधिशेष भूमि के अतिरिक्त किसी धारक की संपत्ति, उस लेनदार के किसी दावे के संबंध में गिरवी रखी गई है जिसके पक्ष में धारा 30 के तहत आदेश पारित किया गया है, तो लेनदार ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित करने हेतु सिविल न्यायालय में आवेदन कर सकता है और सिविल न्यायालय उक्त आदेश में निर्दिष्ट राशि के संबंध में बकाया राशि की बिक्री के लिए, उचित समय सीमा निर्धारित करते हुए, बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा।
- (2). उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी लेनदार जिसके पक्ष में धारा 30 के तहत कोई आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश के अनुसार ऐसे लेनदार को देय किसी दावे के संबंध में बकाया राशि को धारक से उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

32. लेनदार द्वारा अदालती शुल्क।

- (1). धारा 31 के तहत किसी दीवानी न्यायालय में आवेदन करने वाला कोई भी लेनदार, देय घोषित राशि पर उतना ही न्यायालय शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना कि वह उसी राशि की वसूली के लिए दायर किए गए वाद पर अदा करने के लिए उत्तरदायी होता, और दीवानी न्यायालय

तब तक आवेदन पर कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि ऐसा न्यायालय शुल्क अदा नहीं कर दिया जाता।

बशर्ते कि यदि किसी ऋण के संबंध में पहले ही न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।

- (2). लेनदार द्वारा अदा की गई अदालती फीस की राशि कार्यवाही की लागत का हिस्सा होगी और देनदार से वसूल की जाएगी।

33. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील।

- (1). इस अध्याय के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।
- (मैं). यदि सुरक्षित ऋण या दावा 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके अधिकार क्षेत्र में अधिशेष भूमि का पूरा या कोई भाग, जो बंधक या प्रभार के अधीन है, स्थित है;
- (ii). यदि सुरक्षित ऋण या दावा 10,000 रुपये से अधिक है तो उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।
- (2). उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील नहीं होगी-
- (ए). यदि अपील के विरुद्ध दिए गए आदेश की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं की जाती है, तो इसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा;
- (बी). अपील के विरुद्ध दायर याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी, जब तक कि अपील किए गए आदेश की सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर इसे दायर न किया जाए।

34. निर्णय की अंतिमता।

धारा 33 के तहत अपील में जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और जहां कोई अपील दायर नहीं की गई है, वहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI अतिरिक्त भूमि का निपटान

35. इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित अधिशेष भूमि का आवंटन।

- (1) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 12 के तहत राज्य में निहित अधिशेष भूमि को भूमिस्वामी अधिकारों के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को उसमें दर्शाए गए प्राथमिकता क्रम में, ऐसी भूमि के संबंध में देय मुआवजे के समतुल्य प्रीमियम के भुगतान पर आवंटित किया जाएगा।
- (मैं) [कृषि मजदूर,- [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (ए) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित; और
- (बी) अन्य;
- (ii) संयुक्त कृषि समिति, जिसके सदस्य कृषि मजदूर हों, या भूमिहीन व्यक्ति हों जिनका मुख्य व्यवसाय खेती या भूमि पर शारीरिक श्रम करना हो, या ऐसे व्यक्तियों का संयोजन हो;
- (iii) बेहतर कृषि समाज, जिसके सदस्य कृषि मजदूर हों, या भूमिहीन व्यक्ति हों जिनका मुख्य व्यवसाय खेती या भूमि पर शारीरिक श्रम हो, या ऐसे व्यक्तियों का संयोजन हो;]
- (iv) [स्वतंत्रता सेनानी;] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (v) विस्थापित किरायेदार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) की धारा 202 के प्रावधानों के अधीन हैं;
- (vi) आसन्न भूमि धारक;
- (vii) कृषकों की संयुक्त कृषि समिति;

(viii). कृषि प्रधान समाज;

(ix). कोई भी अन्य सहकारी कृषि समिति इस शर्त के अधीन होगी कि भूमि (सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व या किरायेदार के रूप में ली गई भूमि सहित) का क्षेत्रफल सदस्यों की संख्या को अधिकतम क्षेत्रफल से गुणा करने के बराबर से अधिक नहीं होगा;

(एक्स). एक कृषक जिसके पास निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से कम भूमि है:

बशर्ते कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, सघन क्षेत्रफल वाली अधिशेष भूमि या तो सरकारी कृषि के लिए आरक्षित रखी जाएगी या सहकारी समितियों या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवंटित की जाएगी।

[स्पष्टीकरण I. - खंड (iv) के प्रयोजन के लिए, "स्वतंत्रता सेनानी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 15 अगस्त, 1947 से पूर्व किसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो,

(मैं) जिसे मृत्युदंड दिया गया था; या

(ii) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास या हिरासत भुगतनी पड़ी हो; या

(iii) गोलीबारी या लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण वह स्थायी रूप से अक्षम हो गया था; या

(iv) यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति का पूर्ण या आंशिक नुकसान उठाना पड़ा हो, या रोजगार का नुकसान हुआ हो, या आजीविका के साधनों का नुकसान हुआ हो, तो इसमें उसका मुख्य उत्तराधिकारी भी शामिल है, जहां ऐसा व्यक्ति-

(ए) मृत्युदंड के निष्पादन में फांसी दी गई; या

(बी) कारावास या हिरासत के दौरान मृत्यु हो गई।

स्पष्टीकरण II. - स्पष्टीकरण I के प्रयोजन के लिए, "प्रधान उत्तराधिकारी" से तात्पर्य मृतक के सबसे बड़े पुत्र से है, या यदि मृतक का कोई पुत्र न हो, या यदि कोई पुत्र जीवित न हो, तो मृतक के ऐसे अन्य उत्तराधिकारी से है, जिसे कलेक्टर प्रधान उत्तराधिकारी घोषित करे।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)]

- (2). उपधारा (1) के तहत देय प्रीमियम का भुगतान आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा आवंटन तिथि के बाद आने वाले कृषि वर्ष के प्रारंभ से छह महीने के भीतर एकमुश्त या बीस समान किस्तों में किया जा सकता है, जिसमें पहली किस्त आवंटन तिथि के बाद आने वाले कृषि वर्ष के प्रारंभ में देय होगी। यदि प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो ऐसे प्रीमियम की बकाया राशि पर पहली किस्त के देय होने की तिथि से 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
- (3). [जहां उपधारा (1) के अधीन आवंटित भूमि केले के बागानों और अंगूर के बागों के अलावा कोई अन्य बाग हो, वहां आवंटित बाग को यथावत बनाए रखेगा।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 (7-3-1974 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित]

36. आवंटित भूमि के हस्तांतरण के मामले में प्रीमियम की वसूली।

जहां धारा 35 के तहत आवंटित भूमि का हस्तांतरण किया जाता है, वहां ऐसी भूमि के संबंध में बकाया प्रीमियम की राशि उस पर प्रथम प्रभार होगी और भू-राजस्व के बकाया की तरह ही हस्तांतरित से वसूल की जाएगी।

37. धारा 35 के तहत आवंटित की जाने वाली भूमि के अस्थायी पट्टे।

- (1). यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य में निहित भूमि के मामले में कलेक्टर को यह प्रतीत होता है कि धारा 35 के अंतर्गत ऐसी भूमि का आवंटन समय लेने की संभावना है और भूमि को बिना खेती के रहने से रोकने के लिए ऐसा कदम उठाना आवश्यक है, तो वह उस भूमि को किसी ऐसे कृषक को खेती के लिए पट्टे पर दे सकता है जिसके पास अधिकतम सीमा से कम भूमि निजी खेती के अंतर्गत हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-
- (i). यह पट्टा एक वर्ष की अवधि के लिए होगा;
 - (ii). पट्टेदार तहसीलदार द्वारा निर्धारित दर पर किराया अदा करेगा, जो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) के प्रावधानों के अधीन होगा;
 - (iii). पट्टेदार भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व और अन्य उपकरणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv). यदि पट्टेदार पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि खाली करने में विफल रहता है, तो उसे तहसीलदार द्वारा तत्काल बेदखल किया जा सकता है।

(2). उपधारा (1) के अधीन प्राप्त किराया राशि सरकार के खाते में जमा की जाएगी।

निजी खेती। - 'व्यक्तिगत रूप से खेती करना' अभिव्यक्ति को मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 (जेड-2) में परिभाषित किया गया है। मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार आदि उन्मूलन अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम) की धारा 2 (जी) के अंतर्गत टिप्पणी (iii) भी देखें।

[अध्याय VI अ] [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 12, 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)]
अपराध और दंड

37ए. [अपराध एवं दंड। [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 37, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित (16-7-1976 से प्रभावी)]]

(1). यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व है, निर्धारित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने से इनकार करता है या जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहता है, या जानबूझकर अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2). यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व है, ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जिसे वह जानता है या जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि वह झूठा है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

37बी. [अपराध का संज्ञान। [मध्य प्रदेश अधिनियम, संख्या 12, 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)]]

(1). प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

- (2). इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न दी जाए।

अध्याय VII विविध

38. अधिकार अभिलेख आदि में दर्ज प्रविष्टियों के बारे में अनुमान।

- मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1954 (1955 का द्वितीय) के प्रावधानों के अनुसार महाकोशल क्षेत्र में तैयार किए गए अधिकार अभिलेख और वार्षिक पत्रों में प्रत्येक प्रविष्टि तथा इस राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में उस समय लागू किसी भी कानून के तहत रखे गए समान प्रकृति के अभिलेखों में प्रत्येक प्रविष्टि को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सही माना जाएगा।

39. राज्य में निहित भूमि पर कब्जा लेना।

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि कोई भूमि राज्य में निहित हो जाती है, तो तहसीलदार, किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के बाद, तुरंत उस भूमि पर कब्जा कर सकता है और ऐसी भूमि, निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर द्वारा तब तक प्रबंधित की जाएगी जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका निपटान नहीं हो जाता।

40. राजस्व अधिकारी कब्जे की सुपुर्दगी का निर्देश देगा।

- सक्षम प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भूमि पर कब्जा पाने के हकदार किसी व्यक्ति के आवेदन पर, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को सौंप दिया जाए।

41. [अपीलें]। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित (25-10-1966 से प्रभावी)]

- इस अधिनियम के प्रावधानों में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी राजस्व अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील

की जा सकती है,-

- (i) यदि ऐसा आदेश किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में या अन्यथा पारित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) की धारा 44 की उपधारा (1) के तहत उक्त संहिता के तहत उसी रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से अपील सुनने के लिए सक्षम प्राधिकारी को;
- (ii) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाता है, जहाँ ऐसा प्राधिकारी राजस्व अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकारी है, जिसे धारा 2 के खंड (ई) के उपखंड (iii) के तहत राजस्व बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो ऐसा अधिकारी उक्त संहिता की धारा 65 के तहत नियुक्त अतिरिक्त बंदोबस्ती आयुक्त के समान कार्य करेगा;]

[बशर्ते कि मामले की पुनर्विचार याचिका के परिणामस्वरूप राज्य सरकार में निहित अतिरिक्त भूमि उसके धारक को वापस नहीं मिलेगी।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा सम्मिलित (1-11-1988 से प्रभावी)]

42. संशोधन।

राजस्व बोर्ड या आयुक्त, अपनी पहल पर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर, किसी भी समय, अपने अधीनस्थ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से, या उस सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही की नियमितता की पुष्टि करने के लिए, ऐसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले का अभिलेख मंगवाकर उसकी जांच कर सकता है, और इस संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

बशर्ते कि वह किसी भी आदेश को तब तक परिवर्तित या रद्द नहीं करेगा जब तक कि संबंधित पक्षों को नोटिस न दिया गया हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दिया गया हो:

इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत जिस आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है, उसके विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

[यह भी प्रावधान है कि मामले की पुनर्विचार याचिका के परिणामस्वरूप राज्य सरकार में निहित अतिरिक्त भूमि उसके धारक को वापस नहीं मिलेगी।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा सम्मिलित (1-11-1988 से प्रभावी)]

42ए. [स्थगन प्रदान करने पर रोक। - धारा 41 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा या धारा 42 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 1988 से पहले दी गई रोक 1 नवंबर, 1988 को रद्द हो जाएगी।] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा सम्मिलित (1-11-1988 से प्रभावी)।]

43. न्यायालय शुल्क।

- न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (संख्या 7 ऑफ 1870) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन या अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन पर निर्धारित मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प अंकित होना आवश्यक होगा।

44. सीमा.

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण आवेदन, जब तक कि अधिनियम में विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, उस आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा जिसके विरुद्ध ऐसी अपील या पुनरीक्षण दायर किया गया है। [भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 (1908 का IX)] [अब सीमा अधिनियम संख्या 1963 (1963 का 36) देखें] की धारा 4, 5, 12 और 14 के प्रावधान ऐसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने पर लागू होंगे।

45. पूछताछ और कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।

किसी भी राजस्व अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी पूछताछ और कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 (XLV ऑफ 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

46. [सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक। [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 (1-11-1988 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी भी दीवानी न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

- (मैं). किसी भी ऐसे प्रश्न का निपटारा, निर्णय या समाधान करना, जिसका निपटारा, निर्णय या समाधान इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक हो; और
- (ii). इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी मामले में स्थगन प्रदान करने के लिए।]

47. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

- यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के साथ असंगत न हों, और जो उन्हें संदेह या कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।

48. इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का संरक्षण।

- (1). इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- (2). इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कारण या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

49. यह अधिनियम अन्य अधिनियमों, अनुबंधों आदि पर हावी होगा।

इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम का प्रभाव रहेगा, भले ही किसी अन्य अधिनियम में, जो उस समय लागू हो, या किसी प्रथा, रीति-रिवाज, समझौते, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय या आदेश में इसके विपरीत कोई बात निहित हो।

50. नियम बनाने की शक्ति।

- (1). राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकती है।
- (2). विशेष रूप से और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:
- (ए) इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (बी) इस अधिनियम के तहत नोटिस और आदेश जारी करने, तामील कराने, संप्रेषित करने या लागू करने का तरीका;
- (सी) [XXX] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा हटा दिया गया (7-3-1974 से प्रभावी)]
- (डी) वह प्रपत्र और वह अवधि जिसके भीतर धारा 5 की उपधारा (4) के तहत भूमि के हस्तांतरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ई) धारा 9 के तहत रिटर्न जमा करने की अवधि और तरीका;
- (एफ़) (मैं) धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत की जाने वाली जांच;
- (ii) धारा 11 के तहत संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को मसौदा वक्तव्य की प्रति किस प्रकार से तामील कराई जाएगी;
- (ff) [धारा 11-ए (3) के तहत भूमि के बाजार मूल्य की गणना करने का तरीका]
[मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा सम्मिलित (1-11-1988 से प्रभावी)।]
- (fff) [] [खंड (ff), मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1989 द्वारा खंड (fff) के रूप में पुनः क्रमांकित।] वह तरीका और सिद्धांत जिसके अनुसार धारक धारा 13-ए के तहत राज्य सरकार को लाभ का भुगतान करेगा;]
- (जी) धारा 41 के तहत अपील दायर करने का तरीका;
- (एच) राज्य सरकार में निहित किसी भी भूमि का निपटान किस प्रकार किया जाएगा;

(में) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति आधिकारिक राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होगी।

[अनुसूची I] [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 द्वारा निरस्त। (7-3-1974 से प्रभावी)]

द्वितीय

(धारा [16 (1)] देखें [मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित (20-10-1961 से प्रभावी)])

1. भूमिस्वामी अधिकार के अंतर्गत किसी अधिशेष भूमि के धारक को देय मुआवजे की राशि की गणना ऐसी भूमि के प्रति एकड़ भू-राजस्व के आधार पर नीचे निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार की जाएगी:

पैमाना

	प्रति एकड़ भूमि राजस्व	प्रति एकड़ देय मुआवजे की राशि
	(1)	(2)
(1)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व एक रुपये से अधिक नहीं है।	प्रति एकड़ भूमि राजस्व का पचास गुना, न्यूनतम के अधीन। बीस रुपये।
(2)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व एक रुपये से अधिक है लेकिन दो रुपये से अधिक नहीं।	पचास रुपये और उस राशि का पैतालीस गुना जिससे प्रति एकड़ भूमि राजस्व एक रुपये से अधिक है।
(3)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व दो रुपये से अधिक है, लेकिन तीन रुपये से अधिक नहीं।	पचानवे रुपये और उस राशि का चालीस गुना जिससे प्रति एकड़ भूमि राजस्व दो रुपये से अधिक है।

(4)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व तीन रुपये से अधिक है, लेकिन चार रुपये से अधिक नहीं।	एक सौ पैंतीस रुपये और पैंतीस गुना वह राशि जिससे प्रति एकड़ भू-राजस्व तीन रुपये से अधिक हो जाता है।
(5)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व चार रुपये से अधिक है, लेकिन पांच रुपये से अधिक नहीं।	एक सौ सत्तर रुपये और तीस गुना राशि जिससे प्रति एकड़ भू-राजस्व चार रुपये से अधिक हो जाता है।
(6)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व पांच रुपये से अधिक है, लेकिन छह रुपये से अधिक नहीं।	दो सौ रुपये और उस राशि का पच्चीस गुना जिससे प्रति एकड़ भू-राजस्व पांच रुपये से अधिक है।
(7)	जहां प्रति एकड़ भू-राजस्व छह रुपये से अधिक हो।	दो सौ पच्चीस रुपये और बीस गुना वह राशि जिससे प्रति एकड़ भू-राजस्व छह रुपये से अधिक हो:

[बशर्ते कि सुनिश्चित सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई वाली भूमि के मामले में, प्रति एकड़ भू-राजस्व ऐसी भूमि के भू-राजस्व में एक रुपया जोड़कर प्राप्त की जाएगी।] [मध्य प्रदेश अधिनियम 13, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित (7-3-1974 से प्रभावी)]

2. अधिभोग अधिकार के अंतर्गत किसी भूमि के धारक को देय मुआवजे की राशि, नियम 1 के अनुसार निर्धारित मुआवजे की राशि में से उस भूमि के भू-राजस्व को 15 गुना घटाकर होगी।

[2-ए. किसी सरकारी पट्टेदार के रूप में किसी भूमि के धारक को देय मुआवजे की राशि, नियम 1 के अनुसार निर्धारित मुआवजे की राशि होगी, यदि भूमि का मूल्यांकन मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) के तहत भूमि राजस्व के लिए किया गया होता] [मध्य प्रदेश अधिनियम 13 ऑफ 1974 द्वारा सम्मिलित (7-3-1974 से प्रभावी)] ।

3. यदि किसी भूमि पर भू-राजस्व का अलग से आकलन नहीं किया गया है, तो ऐसी भूमि का भू-राजस्व उस संपूर्ण भूमि के भू-राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिसका वह भाग है।

सूचनाएं

धारा 2

1. [अधिसूचना संख्या 721-346-XVIII-62, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग I दिनांक 27-4-1962 पृष्ठ 803 में प्रकाशित] [खंड (क) को बाद में अधिसूचना संख्या 25-41-55-XXVIII-64, मध्य प्रदेश राजपत्र भाग IV (ग) दिनांक 5-2-1965 पृष्ठ 262 में प्रकाशित और अधिसूचना संख्या 1334-1036-XXVIII-66, दिनांक 13-6-1966, मध्य प्रदेश राजपत्र भाग I दिनांक 24-1-1969 पृष्ठ 276 में प्रकाशित द्वारा संशोधित किया गया।] - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 2 के खंड (ई) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार ने नियुक्त किया है:

(ए) (ख) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी भूमि एक ही मंडल के एक से अधिक जिलों में स्थित है, मंडल आयुक्त (और इंदौर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, इंदौर और जबलपुर तथा भोपाल मंडलों के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर-भोपाल तथा रीवा मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, रीवा); और (ख) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी भूमि विभिन्न मंडलों के एक से अधिक जिलों में स्थित है, बंदोबस्ती आयुक्त; उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।]

उपरोक्त में संशोधन करने वाली आगे की संशोधन अधिसूचनाएँ निम्नानुसार हैं।

2. अधिसूचना संख्या डी. 1178-280-XXVIII-75, दिनांक 11-7-1975, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग IV (गा) दिनांक 8-8-1975 में प्रकाशित। मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उन धारकों के संबंध में जिनकी भूमि बिलासपुर, रायपुर, ग्वालियर, चंबल और सागर मंडलों के एक ही मंडल के एक से अधिक जिलों में स्थित है, बिलासपुर के अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर के अतिरिक्त आयुक्त, ग्वालियर के अतिरिक्त आयुक्त, चंबल के अतिरिक्त आयुक्त और सागर के अतिरिक्त आयुक्त को भी उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी

नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या 721-346-XXVIII-62, दिनांक 19 मार्च, 1962 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात्:

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(क) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी भूमि एक ही मंडल के एक से अधिक जिलों में स्थित है, मंडल आयुक्त, और इंदौर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, इंदौर, जबलपुर और भोपाल मंडलों के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर-भोपाल, रीवा मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, रीवा, बिलासपुर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, बिलासपुर, रायपुर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर, ग्वालियर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, ग्वालियर, चंबल मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, चंबल और सागर मंडल के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, सागर; और।"

3. अधिसूचना संख्या एफ. 28-95-XXVIII-76, मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 6-12-1976 को प्रकाशित, पृष्ठ 3443। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 2 के खंड (ई) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार उन धारकों के संबंध में जिनकी भूमि विभिन्न मंडलों के एक से अधिक जिलों में स्थित है, एतद्वारा अतिरिक्त बंदोबस्ती आयुक्त, मध्य प्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्या 721-346-XXVIII-62, दिनांक 19 मार्च, 1962 में संशोधन करती है, अर्थात्:

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मद (ख) में, "समाप्ति आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "समाप्ति आयुक्त, अतिरिक्त समाप्ति आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 28-118-वीएच-धारा 9-83, दिनांक 9 अगस्त, 1983, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग I, दिनांक 16-9-1983, पृष्ठ 1252-53 में प्रकाशित। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 2 के खंड (ई) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 721 346-XXVIII-62, दिनांक 19 मार्च, 1962 को निरस्त करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नियुक्त करती है-

- (ए) एक ही मंडल के एक से अधिक जिलों में स्थित भूमिधारक के संबंध में राजस्व मंडल के आयुक्त और-
- (मैं) इंदौर राजस्व मंडल के मामले में - अतिरिक्त आयुक्त, इंदौर राजस्व मंडल भी;
 - (ii) जबलपुर राजस्व मंडल के मामले में - जबलपुर राजस्व मंडल के अतिरिक्त आयुक्त भी;
 - (iii) भोपाल राजस्व मंडल के मामले में, अतिरिक्त आयुक्त, भोपाल राजस्व मंडल भी शामिल होगा;
 - (iv) रीवा राजस्व प्रभाग के मामले में - रीवा राजस्व प्रभाग के अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल हैं;
 - (v) बिलासपुर राजस्व मंडल के मामले में - अतिरिक्त आयुक्त, बिलासपुर राजस्व मंडल भी;
 - (vi) रायपुर राजस्व मंडल के मामले में - अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर राजस्व मंडल भी शामिल हैं;
 - (vii) ग्वालियर राजस्व मंडल के मामले में - ग्वालियर राजस्व मंडल के अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल हैं;
 - (viii) चंबल राजस्व प्रभाग के मामले में - चंबल राजस्व प्रभाग के अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल हैं;
 - (ix) सागर राजस्व मंडल के मामले में - सागर राजस्व मंडल के अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल हैं;
 - (एक्स) उज्जैन राजस्व मंडल के मामले में - उज्जैन राजस्व मंडल के अतिरिक्त आयुक्त भी; और
- (बी) ऐसे धारक के संबंध में जिसकी भूमि विभिन्न राजस्व प्रभागों के एक से अधिक जिलों में स्थित है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बंदोबस्ती आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

धारा 3

अधिसूचना संख्या 4802-एफ. 1-4-94-VII-2A, मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-12-1994, पृष्ठ 1884 (14) में प्रकाशित। - जबकि राज्य के आर्थिक विकास और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को

बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है। -

- (मैं) उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीजों और पौधरोपण सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करना;
- (ii) वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित खेतों में बागवानी फसलों और बागान फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना, जिसमें रेशम उत्पादन भी शामिल है;
- (iii) सरकारी भूमि के जीर्ण-शीर्ण बंजर भूमि का उपयोग बागवानी और वृक्षारोपण फसलों की खेती के लिए करना ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके और उन्हें आर्थिक उपयोग में लाया जा सके; और
- (iv) कृषि प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों और बागवानी फसलों और वृक्षारोपण फसलों पर आधारित निर्यात उन्मुख औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना;

और चूंकि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए कुछ प्रकार की भूमि को मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) के प्रावधानों से छूट देना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

अतः, मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 3 के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भूमि वर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से स्तंभ (3) में निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तथा उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन तथा प्रपत्र (सी) में छूट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुच्छेद 3 में इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अधीन छूट प्रदान करती है।

एस.एन.	भूमि का वर्ग	सार्वजनिक प्रयोजन जिनके लिए छूट दी गई है	प्रतिबंध और शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	कृषि भूमि और सरकारी बंजर भूमि	उच्च गुणवत्ता के उत्पादन के प्रयोजनों के लिए	(i) सरकार को प्रस्तुत किए जाने के अधीन

किसी व्यक्ति, हिंदू परिवार, फर्म या ट्रस्ट द्वारा धारित या अधिग्रहित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा बेहतर उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कंपनी या सहकारी समिति उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री।	उन्नत बीज (संकरित बीज सहित) या रोपण सामग्री (बीज / जैव प्रौद्योगिकी / वानस्पतिक प्रसार के माध्यम से उत्पादित) कलम/ शिल्प/ जड़युक्त पौधे की सामग्री के माध्यम से) उगाने में उपयोग के लिए कृषि फसल, बागवानी फसल या वृक्षारोपण फसल।	आवेदन के साथ-साथ फॉर्म बी में जारी किया गया प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। कृषि/बागवानी/रेशम उत्पादन निदेशक जो बागवानी फसल या बागान की फसल या उगाई जा रही फसल या प्रस्तावित राशि को छूट के लिए पात्र माना जाएगा। (ii) बागवानी फसल और बागान फसल की खेती की जाएगी कम से कम 40 हेक्टेयर के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित फार्म (iii) वह भूमि जिसका कम से कम 80 प्रतिशत भाग सिंचित हो। यदि पहले से ही स्वामित्व वाली भूमि सिंचाई रहित है तो उसे सिंचाई के अंतर्गत लाया जाना चाहिए सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन दो साल के भीतर
--	---	--

			प्रपत्र C में छूट प्रमाण पत्र प्रदान करना। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, यदि भूमि असिंचित है तो उसे दो वर्षों के भीतर सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत लाया गया अधिग्रहण के दो वर्षों के अंत में, दोनों ही मामलों में दो वर्षों के अंत में फॉर्म बी में प्रमाण पत्र वर्षों बाद पुनः प्राप्त किया जाएगा और सरकार को इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि भूमि सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत लाया गया।
(2)	कृषि भूमि और सरकारी बंजर भूमि किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या फर्म, ट्रस्ट द्वारा धारित या अधिग्रहित की	बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसलें और बागान की फसलें जिनमें रेशम उत्पादन भी शामिल है।	(i) सरकार को प्रस्तुत किए जाने के अधीन आवेदन के साथ-साथ फॉर्म बी में जारी किया गया प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

जाने वाली किसी भी वस्तु के लिए।

बागवानी के लिए उपयोग की जाने वाली कंपनी या सहकारी समिति

फसल और बागान की फसल।

कृषि/बागवानी/रेशम उत्पादन निदेशक कि

बागवानी फसल या उगाई जा रही वृक्षारोपण फसल

प्रस्तावित राशि को छूट के लिए पात्र माना जाएगा। (ii)

बागवानी फसल और बागान फसल की खेती की जाएगी

कम से कम 40 हेक्टेयर भूमि का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित फार्म

जिसमें से कम से कम 80 प्रतिशत भूमि सिंचित होनी चाहिए। (iii)

यदि पहले से ही स्वामित्व वाली भूमि सिंचाई रहित है तो उसे सिंचाई के अंतर्गत लाया जाना चाहिए

सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन दो साल के भीतर

प्रपत्र C में छूट प्रमाण पत्र प्रदान करना।

यदि भूमि असिंचित है तो उसे अधिग्रहित किया जाना

			चाहिए। सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत दो साल के भीतर इसका अधिग्रहण। दोनों ही मामलों में दो साल के अंत में फॉर्म बी में प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को सूचित किया है कि भूमि को नियंत्रण में लाया गया है। सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन।
--	--	--	---

(3)	कृषि भूमि और सरकारी बंजर भूमि कृषि-प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई द्वारा धारित या अधिग्रहित की जाने वाली मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों और वृक्षारोपण के लिए स्थापित। औद्योगिक इकाई में आंतरिक उपयोग के लिए फसल।	(1) कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से (ii) अपने स्वयं के उपयोग के लिए सामग्री इकाई या (ii) कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए औद्योगिक इकाई द्वारा माल का उत्पादन करने का उद्देश्य निर्यात का।	(i) सरकार को प्रस्तुत किए जाने के अधीन आवेदन के साथ (क) द्वारा जारी प्रमाण पत्र उद्योग आयुक्त को प्रपत्र बी में इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया गया है कि औद्योगिक इकाई एक कृषि-प्रसंस्करण इकाई है और इसे आवश्यकता है स्वयं के उपयोग के लिए या कच्चे माल के उत्पादन के लिए भूमि। निर्यात के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, (ख) बागवानी/रेशम उत्पादन निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फॉर्म में) बी. वह बागवानी फसल या बागान फसल जिसे उगाया जा रहा है या जिसे जुटाने का प्रस्ताव है, वह छूट के लिए पात्र है। (ii)
------------	---	--	---

औद्योगिक इकाई में संयंत्र
और मशीनरी पर निवेश

निवेश एक करोड़ रुपये से
कम नहीं होना चाहिए।
किया गया निवेश होगा

उद्योग आयुक्त द्वारा
प्रमाणित।(iii)

बागवानी फसल और बागान
फसल की खेती की जाएगी

कम से कम 40 हेक्टेयर के
वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित
फार्म

जिसकी कम से कम 80
प्रतिशत भूमि सिंचित हो।
(iv)

यदि पहले से ही स्वामित्व
वाली भूमि सिंचाई रहित है
तो उसे सिंचाई के अंतर्गत
लाया जाना चाहिए

सिंचाई और वैज्ञानिक
प्रबंधन दो साल के भीतर

प्रपत्र C में छूट प्रमाण पत्र
प्रदान करना।

			यदि भूमि असिंचित है तो उसे अधिग्रहित किया जाना चाहिए। सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत दो साल के भीतर इसका अधिग्रहण। दोनों ही मामलों में दो साल के अंत में फॉर्म बी में प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने इस आशय से भूमि को अपने अधीन कर लिया है सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन।
--	--	--	--

स्पष्टीकरण। - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

(मैं) 'धारित भूमि' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'किसी कार्यकालधारक, अधिभोगी किरायेदार या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि' जैसा कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 ऑफ 1959) में परिभाषित है।

(ए) "कृषि फसल" अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-

(मैं) अनाज;

(ii) दालें;

- (iii) तिलहन;
- (iv) कपास; और
- (v) गन्ना;
- (बी) 'बागवानी फसल' अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-
 - (मैं) फल- बारहमासी फल जैसे आम, अमरूद, खट्टे फल, केला, पपीता, अनानास और वार्षिक रूप से उगाई जाने वाली फल फसलें जैसे रसभरी, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, तरबूज;
 - (ii) सब्जियाँ - वे सभी फसलें जिनके फल, बीज, जड़, तना, पत्तियाँ, फूल या पौधे का कोई भी भाग सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है;
 - (iii) मसाले और चटनी - वृक्षों पर उगने वाले मसाले और वार्षिक मसाले की फसलें दोनों;
 - (iv) मेवे - जैसे काजू, नारियल, सुपारी, लेकिन मूंगफली इसमें शामिल नहीं है;
 - (v) फूल और सजावटी पौधे जैसे झाड़ियाँ, पेड़ या लताएँ;
 - (vi) जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे और सुगंधित पौधे।
- (सी) "बागान फसल" अभिव्यक्ति का अर्थ निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों की खेती से है और इसमें ये शामिल हैं-
 - (मैं) लकड़ी;
 - (ii) ईंधन की लकड़ी;
 - (iii) चारा वृक्ष प्रजातियाँ;
 - (iv) नीम, करंज, जाजोबा, कैरोब, ताड़ का तेल और अन्य ताड़ के पेड़ जैसी तेल उत्पादक प्रजातियाँ;
 - (v) बांस;
 - (vi) गोंद और राल युक्त प्रजातियाँ;

- (vii) चाय, कॉफी और कोको;
- (viii) शहतूत, साजा, अर्जुन जैसी रेशम उत्पादन प्रजातियों की प्रजातियाँ।
- (III) यहां प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-
- (ए) "उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीज" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-
- (मैं) बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, यानी-

भारत सरकार/राज्य सरकार/कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र/फार्म या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण बीज/उच्च उपज वाली किस्मों के बीज/पौधे सामग्री से उत्पादित बीज, और इस प्रकार उत्पादित बीज अधिसूचित किस्मों/प्रजातियों के मामले में बीज अधिनियम, 1966 (संख्या 54 ऑफ 1966) के अनुसार विधिवत प्रमाणित होना चाहिए, और गैर-अधिसूचित किस्मों/प्रजातियों/प्रजातियों के मामले में प्रमाणित बीजों के लिए निर्धारित मानक को पूरा करना चाहिए; और

- (ii) संकर बीज, यानी-

भारत सरकार/राज्य सरकार/कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र/फार्म या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत या भारत या विदेश में स्थित किसी प्रतिष्ठित संकर बीज उत्पादक फर्म से प्राप्त जनक (नर और मादा दोनों) बीजों/रोपण सामग्री से उत्पादित बीज। यह बीज बीज अधिनियम, 1966 (संख्या 54 ऑफ 1966) के तहत प्रमाणित हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन संबंधित फसल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वयक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और इस प्रकार योग्य होना चाहिए तथा बीज अधिनियम, 1966 (संख्या 54 ऑफ 1966) के प्रावधानों के अनुसार शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, अवरक्त पदार्थ और मृत बीजों आदि के निर्धारित मानकों के भीतर होना चाहिए।

- (बी) सायन - पौधे का वह भाग, आमतौर पर तना जिसे प्रवर्धन के लिए स्टॉक में लगाया जाता है। इसमें थोड़ी या बिना लकड़ी वाली एक कली हो सकती है, या एक या अधिक कलियाँ हो सकती हैं जिनमें एक या अधिक आंतरिक संरचनाएं हों।
- (सी) स्टॉक - पौधे का कोई भी भाग, आमतौर पर जड़ या तना, जिसमें पौधे को आगे बढ़ाने के लिए कली या कलम लगाई जाती है।

- (डी) ग्राफ्ट्स - इन्हें बेहतर किस्म के पौधे की कलम को स्थानीय/स्वदेशी पौधे पर वानस्पतिक रूप से संकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है।
- (ई) भुनी हुई पौध सामग्री। - कटाई, परतबंदी, वायु परतबंदी, विभाजन आदि।
- (एफ) वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित कृषि - फसलों की खेती के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सिद्धांतों के व्यावहारिक और एकीकृत अनुप्रयोग के माध्यम से प्रबंधित भूमि का एक भाग, जिससे आसपास के वातावरण की मिट्टी और उर्वरता में किसी भी प्रकार की कमी या गिरावट के बिना अधिकतम सतत उपज सुनिश्चित की जा सके। फसल की वृद्धि की निगरानी प्रत्येक चरण में की जाती है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जो किसी भी रोग/कीट/वायरस और रासायनिक अवशेषों से मुक्त हो, जो इस उपज से उगाई जाने वाली अगली फसलों या मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ 'वैज्ञानिक' और 'तकनीकी' शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है-

भूमि तैयार करने, बुवाई, रोपण, कटाई, थ्रेसिंग, भंडारण आदि के लिए मशीनरी/उपकरणों/सामग्रियों का उपयोग। वर्षा/सिंचाई के जल के प्रवाह को नियंत्रित करने और इस प्रकार मृदा अपरदन को रोकने तथा फसल उत्पादन के लिए सतही और भूमिगत जल का संरक्षण करने के लिए वनस्पति/मिट्टी/पत्थर की संरचनाओं, अवरोधों आदि सहित मृदा और जल प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग। उपलब्ध जल का उपयोग। उपज के भंडारण के लिए सुविधाएं स्थापित करना, चाहे स्वयं के लिए हो या सामुदायिक आधार पर, ताकि नाशवान उपज की शेल्फ-लाइफ को बढ़ाया जा सके।

- (IV) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिनका खंडन नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) में उन्हें दिया गया है।

3. छूट प्रदान करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- (1) इस अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र 'ए' में राजस्व विभाग में सरकार को आवेदन करेगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रपत्र बी में प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

(3) इस आवेदन पर मंत्रिपरिषद की एक उप-समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

1. राजस्व प्रभारी मंत्री

2. कृषि प्रभारी मंत्री।

3. वन प्रभारी मंत्री।

4. वित्त प्रभारी मंत्री।

5. ग्रामीण उद्योग प्रभारी मंत्री।

6. उद्योग प्रभारी मंत्री।

राजस्व विभाग के प्रभारी सचिव समिति के सचिव होंगे।

(4) यदि उप-समिति द्वारा छूट प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, तो राजस्व विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा आवेदक को इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र सी में एक छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

4. इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण पत्र में खसरा संख्या और उस क्षेत्र का उल्लेख होगा जिसके संबंध में छूट दी गई है, और यह आवेदक को मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी छूट प्राप्त भूमि को धारण करने या अधिग्रहण करने का हकदार बनाएगा। अनुसूची के स्तंभ (4) में दर्शाई गई प्रविष्टियों (1) और (2) की शर्त (iii) और प्रविष्टि (3) की शर्त (iv), जैसा भी मामला हो, इस प्रकार दी गई छूट पर लागू होगी।

5. इस प्रकार दी गई छूट तब तक वैध रहेगी जब तक इस अधिसूचना और छूट प्रमाण पत्र की शर्तें पूरी होती रहेंगी।

6. यदि किसी भी समय ऐसा प्रतीत होता है कि-

- (i) भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए छूट प्रदान की गई है; या
- (ii) भूमि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है और उसे लगातार 2 वर्षों तक परती रखा जाता है; या
- (iii) इस अधिसूचना या छूट प्रमाण पत्र के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ है;

राज्य सरकार को छूट वापस लेने और आवेदक के पक्ष में जारी छूट प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा:

हालांकि, यह शर्त है कि छूट वापस लेने और प्रमाण पत्र रद्द करने से पहले आवेदक को सुना जाएगा।

7. इस अधिसूचना में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) के प्रावधानों के तहत पहले से ही अधिशेष घोषित भूमि या जिसके संबंध में किसी न्यायालय में मामले लंबित हैं, को छूट दी जा सके।

प्रपत्र 'ए'

मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (एच) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने या अधिग्रहण करने के लिए छूट हेतु आवेदन।

(राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक के अंतर्गत)

को,

सचिव,

मध्य प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग,

भोपाल

महोदय,

में/हम मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (एच) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने/अधिग्रहण करने के लिए छूट हेतु आवेदन करते/करते हैं। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं।

1.	आवेदक का नाम*	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	आयु	
4.	पता	
5.	पेशा	
6.	व्यापार स्थल	

*नोट - हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, परिवार को बाध्य करने वाले कर्ता का नाम और उसका दर्जा, तथा फर्म, ट्रस्ट, कंपनी या सहकारी समिति के मामले में, उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति का नाम/विवरण, प्राधिकरण का प्रमाण, एसोसिएशन के नियमों की प्रति/पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदक और उसके परिवार की वर्तमान भूमि का विवरण: क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्रमांक	धारक का नाम	आवेदक के साथ संबंध	तहसील एवं जिला	ग्राम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सिंचित	असिंचित	कुल	भूमिस्वामी/सरकारी पट्टा रखने की प्रकृति/ निजी पट्टा/अधिभोग किरायेदार	वर्तमान भूमि उपयोग	किसी भी अन्य जानकारी
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

यहां एक फुटनोट जोड़ा जाए जिससे यह स्पष्ट हो कि भूमि का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और यदि ऐसा नहीं है, तो भूमि को वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत लाने के लिए प्रस्तावित कदम उठाए जाएं।

8. जिस भूमि के लिए छूट मांगी जा रही है उसका विवरण-

- (मैं) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- (ii) खसरा क्रमांक सहित प्रत्येक भूमि का क्षेत्रफल, चाहे वह सिंचित हो या असिंचित।
- (iii) गाँव का नाम
- (iv) पटवारी हल्का नं.
- (v) तहसील/जिला
- (ए) उपरोक्त भूमि के वर्तमान अधिभोगी धारक का नाम और उसकी स्थिति, चाहे वह गिरवी रखी गई हो या ऋण मुक्त हो, आदि। सरकारी बंजर भूमि के मामले में, संबंधित तहसीलदार से पंचशाला खसरा की प्रति प्रदान करें।
- (बी) उपरोक्त भूमि को खरीद या पट्टे के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्तावित तरीका।
- (सी) सिंचाई के मौजूदा स्रोत का पूरा विवरण।
- (डी) सिंचाई के अतिरिक्त प्रस्तावित स्रोत का पूरा विवरण।

(ई) कृपया बताएं कि भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रस्ताव है।

9. भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा (बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रस्तावित बागवानी फसल या वृक्षारोपण फसल का विवरण जैसे विवरण दें)।

10. बागवानी और/या वृक्षारोपण फसलों पर आधारित स्थापित होने वाले कृषि प्रसंस्करण उद्योग का विवरण, क्षमता और किए गए निवेश सहित। आवश्यक कच्चे माल का विवरण और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रमुख विवरण, चाहे वह स्वदेशी हो या आयातित आदि।

11. प्रस्तावित गतिविधि/उद्योग में पूर्व अनुभव।

12. कृपया प्रस्तावित परियोजना की परियोजना प्रोफ़ाइल की प्रति संलग्न करें (जिसमें वित्त, उत्पाद के विपणन आदि से संबंधित समझौते शामिल हों)।

13. अधिसूचना संख्या दिनांक... के पैरा 2 में निहित अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

14. मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि-

पैरा 1-13 में उल्लिखित तथ्य/विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऊपर वर्णित भूमि (जिसमें छूट मांगी गई भूमि भी शामिल है) का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और मैं/हम सभी निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे/करेंगे। यदि मैं/हम उपरोक्त अधिसूचना में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं या हमें दिए जाने वाले छूट प्रमाण पत्र का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार छूट वापस ले सकती है और छूट प्रमाण पत्र रद्द कर सकती है।

जगह

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(अधिकृत पात्र)

प्रपत्र 'बी'

प्रमाणपत्र

मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (एच) के अंतर्गत राजस्व विभाग के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने हेतु।

अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....

(कृषि निदेशक/बागवानी निदेशक/रेशम उत्पादन निदेशक/उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा।)

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स.....के इस मामले की जांच की है, जिसमें मध्य प्रदेश कृषि जोत पर सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (एच) के तहत भूमि के लिए छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की भी जांच की है, जो इसके साथ संलग्न है।

2. (क) आवेदक और/या उसके परिवार के सदस्य ग्राम में निम्नलिखित भूमि पर कब्जा रखते हैं।

	अपनी जमीन परती/बंजर जमीन	सरकारी/निजी पट्टे पर भूमि।	कुल
	(1)	(2)	(3)
खसरा क्रमांक क्षेत्रफल संचित क्षेत्रफल			

और/या

(बी) आवेदक द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि(भूमियों) का विवरण।

3. निम्नलिखित बिंदुओं पर मेरी टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

- (मैं) कृषि की वर्तमान स्थिति [(क) भूमि उपयोग/उगाई गई फसल, (ख) उत्पादन और निपटान का विवरण, (ग) कृषि पद्धतियाँ, (घ) वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें और अन्य पहलू।
- (ii) आवेदक किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से भूमि का प्रबंधन करने का प्रस्ताव करता है?
- (iii) कृषि, बागवानी या वृक्षारोपण फसल जिसे उगाने का प्रस्ताव है;

विवरण:-

- (ए) उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीजों का उत्पादन,
- (बी) वृक्षारोपण सामग्री (प्रसार, ग्राफ्टिंग, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से),
- (सी) बागवानी फसल,
- (डी) बागवानी फसल,
- (ई) बागवानी/वृक्षारोपण फसलों की खेती द्वारा आर्थिक उपयोग के लिए बंजर भूमि के पुनर्वास की योजना।
- (एफ) आंतरिक औद्योगिक इकाई/निर्यात उन्मुख इकाई में उपयोग के लिए कच्चे माल का उत्पादन।
- (iv) आवेदक के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव।
- (v) उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण, बैंक/संस्था का नाम, परियोजना के लिए आवश्यक राशि/वित्तीय संस्था की सहायता की इच्छा का संकेत।

4. अन्य टिप्पणियाँ (गुण/दोष)।

5. यह परियोजना क्षेत्र के ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देगी? क्या इसका किसान समुदाय पर कोई सकारात्मक या प्रेरक प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे कृषि-प्रसंस्करण उद्योग की

स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा या मौजूदा इकाइयों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी?

6. छूट के लिए सिफारिश, कारण सहित।

कृषि निदेशक/बागवानी निदेशक/रेशम उत्पादन निदेशक।

फॉर्म सी'

छूट प्रमाणपत्र

(राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या, दिनांक के अनुसार प्रदान किया गया)

1. आवेदक का नाम.....

2. पिता के पति का नाम.....

3. आयु.....

4. पता.....

5. व्यवसाय.....

6. व्यवसाय का स्थान.....

7. वर्तमान में धारित भूमि का विवरण-

क्रमांक	ग्राम/ पीसी क्रमांक	तहसील/ जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्र	सिंचित/ असिंचित	कुल सिंचित और	धारण करने	वर्तमान भूमि उपयोग	सिंचाई के लिए	क्या भूमि का प्रबंधन वैज्ञानिक
---------	---------------------------	----------------	-----------------	---------	--------------------	---------------------	--------------	--------------------------	------------------	--------------------------------------

						असिंचित भूमि	की प्रकृति		प्रस्तावित स्रोत	तरीके से किया जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत लाने के लिए प्रस्तावित कदम उठाए जाएंगे।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का विवरण

क्रमांक	ग्राम/ पीसी क्रमांक	तहसील/ जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्र	सिंचित/ असिंचित	कुल सिंचित और असिंचित भूमि	धारण करने की प्रकृति	वर्तमान भूमि उपयोग	सिंचाई के लिए प्रस्तावित स्रोत	क्या भूमि का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और
---------	---------------------------	----------------	-----------------	---------	--------------------	--	-------------------------------	--------------------------	---	---

										यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत लाने के लिए प्रस्तावित कदम उठाए जाएंगे।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. उन्नत बीज/पौधारोपण सामग्री/बागवानी/पौधारोपण फसल का विवरण, जिसकी खेती की जा रही है या की जानी प्रस्तावित है, और क्या यह उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार छूट के लिए पात्र है।

10. कृषि प्रसंस्करण उद्योग का विवरण, जिसमें किए गए निवेश, निर्यात उन्मुख इकाई है या नहीं आदि शामिल हों।

11. उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में छूट प्रदान की गई है-

क्रमांक	ग्राम/ पीसी नंबर	तहसील/जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्र	सिंचित/असिंचित	कुल छूट प्राप्त क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

12. छूट प्रदान करने के कारण, यदि कोई शर्तें हों तो उनका विवरण और जिस उद्देश्य के लिए छूट दी गई है उसका विवरण दें। अपनाई जा रही या अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों का विवरण भी दें।

6. अधिसूचना संख्या एफ-28-25-XXVIII-76, दिनांक 17 नवंबर, 1980, एमपी राजपत्र, भाग IV (गा) दिनांक 19-12-1980, पृष्ठ में प्रकाशित। 543. - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 3 के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा शिक्षा, आध्यात्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों तथा जन कल्याण के प्रयोजनों के लिए गठित किसी समाज द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत धारित भूमि को छूट देती है, जो उक्त तिथि से पूर्व लागू किसी भी समाज पंजीकरण संबंधी अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी, 1971 से पूर्व पंजीकृत हो और जिसकी संपूर्ण आय ऐसे शैक्षिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रयोजनों तथा जन कल्याण के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हो, बशर्ते कि ऐसा समाज किसी भी धर्म के हितों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में संलग्न न हो तथा चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित उसके खाते मध्य प्रदेश समाज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 ऑफ 1973) की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त समाज रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएं।

7. अधिसूचना संख्या एफ-28-53-28-75, दिनांक 9-1-1981, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग IV (ग.), दिनांक 6-2-1981, पृष्ठ 17 में प्रकाशित। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 3 के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी समिति द्वारा सरकारी पट्टे के रूप में धारित भूमि को छूट देती है जो उस समय लागू हो और-

(1) गतिविधियों में संलग्न-

(ए) शिक्षा को बढ़ावा देना;

(बी) ग्रामीण शिक्षा में प्रयोग;

(सी) ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली विकसित करना और उसे लागू करना; या

(डी) प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रशिक्षण या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना और उस प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (संख्या 43 ऑफ 1961) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या (iii) के तहत अनुमोदित किया गया हो-

(मैं) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; या

(ii) उक्त धाराओं के अधीन निर्धारित प्राधिकारी के रूप में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद; और

(2) ऐसी भूमि की संपूर्ण आय मध्य प्रदेश राज्य के भीतर ऐसी गतिविधियों पर खर्च की जाती है।

धारा 27-बी

8. अधिसूचना संख्या डी. 1390-3197-28-76, दिनांक 26-6-1976, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग I, दिनांक 9-7-1976, पृष्ठ 1146 में प्रकाशित। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 27-बी की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए जबलपुर मंडल के अतिरिक्त आयुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 37-ए के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में उनके अधिकार क्षेत्र में सशक्त बनाती है।

9. अधिसूचना क्रमांक एफ-28-52-28-77, दिनांक 27 जुलाई 1979, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 17-8-1979, पृष्ठ 1352 में प्रकाशित। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 27-बी की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अर्थ, राज्य सरकार ने उपधारा के प्रावधानों के लिए आवेदन किया है, रायसेन को उसके अधिकार क्षेत्र में उल्लिखित अधिनियम की धारा 37-ए के तहत कृषि क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

10. संख्या एफ. 28-1-XXVIII-79, दिनांक 28 सितम्बर, 1979, मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 19-10-1979, पृष्ठ 1586 में प्रकाशित। - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 ऑफ 1960) की धारा 37-बी की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अर्थ किया गया है, राज्य

सरकार की उपधारा के प्रावधानों के लिए दमोह को, उनके अधिकार क्षेत्र में, उक्त अधिनियम की धारा 37-ए के तहत दंडनीय खेती के संबंध में, स्थायी संस्था है।

धारा 37-बी

11. संख्या एफ. 28-150-28-76, दिनांक 22 फरवरी 1978, मध्य प्रदेश राजपत्र (आसाधारण) दिनांक 24-3-1978, पृष्ठ 252 में प्रकाशित - मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (संख्या 20 1960) की धारा 37-बी की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों की व्याख्या, राज्य सरकार की उपधारा के प्रस्ताव, एड. को, उसके अधिकार क्षेत्र में उल्लिखित अधिनियम की धारा 37-ए के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में, स्टिमेट स्थापित है।